UPKJ01-000776-2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -338/2026

राम औतार पुत्र बाबूराम उर्फ रघुनाथ
निवासी-ग्राम सरायदौलत थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज। **........आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

उ०प्र० राज्य **..........अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-32/2024
अपराध संख्या-231/2020
धारा 138(1)(B) भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना-एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज
जनपद कन्नौज।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138(1)(B) भारतीय विद्युत अधिनियम, अपराध संख्या-231/2020 थाना-एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज जनपद-कन्नौज में अभियुक्त **राम औतार** की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में महज बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विवेचक ने विवेचना नियमानुसार नहीं की है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाये।

3. अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

4. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र, उभय पक्ष के अभिकथनों तथा सम्बन्धित पत्रावली का समग्र परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया अपना अदा किया जा चुका है। विद्युत विभाग की आख्या दिनांकित 18.12.2025 पत्रावली में उपलब्ध है।

5. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत प्रकरण के गुणदोष पर अपनी राय व्यक्त किये बिना मैं जमानत का आधार पर्याप्त पाता हूं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राम औतार** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-231/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 138(1)(B) भारतीय विद्युत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज जनपद कन्नौज में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **पच्चीस हजार रूपये** की **एक जमानत** तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-10.03.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(वि०अधि०),कक्ष सं०-1 कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 17:06:27 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ